जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 73वीं बैठक दिनांक 20-10-2004 को प्रातः 11.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 से 3 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) द्वारा तैयार किया गया जिसका कार्यवाही विवरणः-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री ए.के. हेमकार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री वी.एम. कपूर, अति.आयुक्त भूमि (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
2. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः-

एजेण्डा सं0 1 :- मित्र गृ.नि.स.स. की योजना वृन्दावन विहार विस्तार के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रेषित एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं0 11 से 22 व 1 से 12 के मध्य 25'-0'' सडक को 40'-0'' किया जावे तथा 40'-0'' सडक के घुमाव को सुव्यवस्थित करते हुए भूखण्ड सं0 1 व 2 से आवश्यक भूभाग समर्पित करवाया जाकर मानचित्र अनुमोदित किया जावे।

एजेण्डा सं0 2 :- श्री गणपति गृ.नि.स.स. की योजना बालाजी नगर के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रेषित एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-

1. योजना का भू उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार वेयर हाउसिंग एवं गोदाम दर्शित है जिसे नियमानुसार आवासीय किया जाना होगा।
2. सैक्टर 31 की 60'-0'' चौडी सडक से भूखण्ड सं0 68 व 69 प्रभावित है अतः सैक्टर रोड की चौडाई 60'-0'' ही रखते हुए भूखण्डों से लिये जाने वाले भूभाग को समर्पित करवाया जावे।
3. भूखण्ड सं0 1 से 9, 89 से 101 एवं भूखण्ड सं0 69 से 80 के सामने स्थित 30'-0'' चौडी सडक को 40'-0'' किया जावे।
4. योजना से गुजरने वाली एच.टी. लाईन के नीचे स्थित भूखण्ड सं0 50 व 50 ए के मध्य भूभाग, भूखण्ड सं0 22 व 23 के मध्य स्थित भूभाग एवं भूखण्ड सं0 21 के दक्षिण में स्थित भूभाग को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे।

5. भूखण्ड सं0 53 से 56 के सामने से एच.टी. लाईन गुजर रही है अत: 15'-0'' की सुरक्षित दूरी रखने पर काफी छोटा भूभाग उपलब्ध होता है जिसे अस्वीकृत (Not Approved) किया जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुए योजना मानचित्र अनुमोदित कर नियमानुसार भू उपयोग उपान्तरण उपरान्त जारी किया जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) की टिप्पणी में सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत भूखण्ड सं0 53 से 56 दर्शित किया गया था जो सही नहीं है। उपरोक्त कार्यवाही विवरण में सही भूखण्ड संख्या अंकित कर दिये गये है।

एजेण्डा सं0 3 :- गणपति गृ.नि.स.स. की योजना बालाजी विहार-26 के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रेषित एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि योजना में एस नंबर के काफी भूखण्ड दर्शित किये गये है जो कि दुकाने प्रतीत होती है। सहकारी समिति से इन दुकानों को हटाते हुए आवासीय भूखण्ड प्रस्तावित किये जाने एवं योजना से गुजरने वाली 80'-0'' चौडी सैक्टर रोड को समायोजित करते हुए मानचित्र लिया जावे तत्पश्चात् ही प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी-166
दिनांक :- 10/11/04

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त जोन ..... जविप्रा, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।